



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/फाल्गुन 24, 1938

No. 191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017

सा.का.नि. 246(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल में उप महानिरीक्षक (पशु चिकित्सक) के योद्धक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल उप महानिरीक्षक (पशु चिकित्सक) भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृश्यता योग्यता.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण : इस नियम के संदर्भ में शेष-I से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों SHAPE द्वारा इंगित चिकित्सा श्रेणीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है :-

S- मनोवैज्ञानिक (Psychological)

H -श्रवण क्षमता (Hearing)

A -एपेंडेजेज (Appendage)

P-शारीरिक क्षमता (Physical Capacity)

E -दृष्टि क्षमता (Eye-Sight)

(ii) अधिकारी की कार्य क्षमता को प्रत्येक कूट अक्षर के सामने 1 से 5 तक के अंकों से दर्शाया जायेगा जो कमशः घटती हुई कार्यक्षमता को दर्शाएंगे और अंकों को कूट अक्षर के सामने लिखा जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जहां कोई अधिकारी सभी मानकों में ग्रेड-I में है तो उसकी श्रेणी को SHIAIPIEI लिखने की बजाय SHAPE-I लिखकर दर्शाया जा सकता है और इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नलिखित है :-

(क) कहीं भी हर प्रकार की इयूटी के लिए उपयुक्त।

(ख) हर प्रकार की इयूटी के लिए स्वस्थ लेकिन कार्यों के प्रकार और कार्य क्षेत्रों के अनुसार सीमित जो इस बात पर निर्भर है कि इन कार्यों में अत्यधिक मानसिक दबाव या श्रवण अथवा दृष्टि क्षमता अथवा आंख और कान दोनों की तीक्ष्णता अपेक्षित है अथवा नहीं।

(ग) "एस" मानक को छोड़कर दैनन्दिन अथवा बैठकर की जाने वाली इयूटी के लिए स्वस्थ लेकिन अधिक ऊंचाई (2,700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे या पहाड़ी क्षेत्रों में और लंबे कार्य के लिए असमर्थता हो सकती है।

(घ) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी के कारण अवकाश के कारण अस्थायी रूप से अस्वस्थ।

(ङ.) इयूटी के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त।

6. **अधिवर्षिता.**—(1) ऐसा अधिकारी जिसे इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपरान्ह में, जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, सेवा से सेवा निवृत्त होगा :

परन्तु यह कि ऐसा अधिकारी, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

7. **अन्य देशीय की अपात्रता.**—इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, को सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में पूर्व सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि इस नियम की कोई बात नेपाल और भूटान के नागरिक की नियमों के अधीन उसकी नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को प्रतिबन्धित नहीं करेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **सेवा का दायित्व.**—इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उप महानिरीक्षक (पशु चिकित्साक)	01* (एक) 2017 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय(योधक)	स्तर - 13 ए (रू0 131100-216600) + व्यवसाय निषेध भत्ता

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित अधिकारियों हेतु दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए :- प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा नियुक्ति की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति :- ऐसे कमांडेंट (पशु चिकित्सक) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 (रू0 118500-214100) में कुल बीस वर्ष सहित दो वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जिन्होंने यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम अथवा महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण 1:- उनका चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I होना चाहिए।

टिप्पण 2 :- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति : अन्य केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के ऐसे अधिकारियों में से :

(क) (i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रू0 118500-214100) में अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में अपनी

नियुक्ति के पश्चात दो वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों; और

(ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन में बैचलर

डिग्री अथवा समतुल्य हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयु की ऊपरी सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन :

सशस्त्र बलों के ऐसे निर्मुक्त अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों में से जो पशु चिकित्सा सेवाओं में सदृश या समरूप पद धारण किए हुए हैं, प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन द्वारा

टिप्पण : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस